भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 107

दिनांक 24.02.2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

किसानों द्वारा आत्महत्या पर रिपोर्ट

107. श्री अनंत कुमार हेगड़ेः
क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो ने हाल ही में देश में किसानों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2014 के दौरान देश में दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ग): दिसम्बर, 2014 में आसूचना ब्यूरो से महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। आत्महत्या के पीछे मुख्य कारणों के रुप में बकाया ऋण, बढ़ता कर्ज, फसल की कम पैदावार, फसलों की खराब खरीद-दर, लगातार फसल की बरबादी, असामान्य मानसून, भू-जल स्तर में कमी आदि की पहचान की गई है। उक्त रिपोर्ट में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, कृषि ऋण सहित कृषि राज्य का एक विषय होने के नाते यह संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह आत्महत्या करने वाले किसानों के पीड़ित परिवारों को मुआवजे के भुगतान सहित राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए समुचित उपाय करे। भारत सरकार समुचित नीतिगत उपायों तथा बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों द्वारा किये गए प्रयासों को संपूरित करती है।

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने तथा सतत आधार पर किसान समुदाय की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार का ध्यान मुख्यतः कृषि आय को बढ़ाना, गैर-कृषि आय के अवसर सृजित करना, वर्षा सिंचित कृषि की उत्पादकता में सुधार लाना, संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों के दायरे का बढ़ाना तथा उपयुक्त विपणन एवं व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों के न्यूनतम सहायता मूल्यों में बढ़ोतरी करना, कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाना, किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को संकट में बेच दिए जाने की समस्या को दूर करने के लिए छह माह के लिए पैदावार के पश्चात ऋण प्रदान करना, ऋण माफी/राहत, फसल संबंधी ऋणों पर ब्याज अनुदान, अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज की ओर है।